and English versions) published in Notification No. G.S.R. 169(E) in Gazette of India dated the 28th February, 1982, under sub-section (2) of section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. (*Placed in Library. See* No. LT-3472/82).

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued in pursuance of Note 7 to Chapter 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975:—

(i) G.S.R. 230(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 28th February, 1982, together with an explanatory memorandum prescribing the method of determining 'carbon residue' of certain petroleum products.

(ii) G.S.R. 231(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 28th February, 1982, together with an explanatory memorandum prescribing the method of doing the 'colour comparision test' of certain petroleum products. (*Placed in Library. See* No. LT-3473/82).

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि जो गलतफहमी थी, जब आप के नोटिस में यह आ गया है, तो इसको मिटा देना चाहिये। मुझ को 'हां' या 'न' में लिख कर कुछ नहीं मिला है। मैंने आपको लिखित दिया था।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको भेज दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : श्री सूरज भान, मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने इलजाम लगाया है . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि उनको लगाना नहीं चाहिये था। मैंने पूछा है और मैं बगैर पूछे बात नहीं करता। मेरे पास उस लड़की की मां का एफीडेविट आया है कि लड़की अपने नाना के पास है और सही सलामत है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप ने सूरज भान जी से पूछा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सूरजभान जी से क्यों पूछूं ? जब सूरज भान जी कहेंगे तब मैं पूछूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वह कहें फिर मैं उनके खिलाफ . . .

(**व्यवधान**) . . .

MR. SPEAKER: This is not the way. No, no. Not allowed. I am not going to allow him now. Yes, Mr. Chandrajit Yadav.

(*Interruptions*) **

12.14 hrs.

RE. MANDAL COMMISSION REPORT

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): I have written to you a letter to raise this point, that on 18th this House assembled and the Mandal Commission issue was raised here.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, about that Mandal Commission Report.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: I would like to know when are you going to place this report before the House and what are you going to do for the implementation of the Report. I would like to know that.

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर साहेब, मंडल कमीशन की
एंगजायटी हाउस के मेम्बरों को है, उतनी ही एंगजायटी सरकार को भी है। हम जान बूझ कर कोई डिले करने का इरादा नहीं रखते हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : ये क्या कह रहे हैं ?

**Not recorded

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जो यह कह रहे हैं उसे आप सुनें। (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जैल सिंह : मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह कोशिश है कि मेमोरेण्डम आफ एक्शन टेकन उस रिपोर्ट के साथ रखा जाये उसके लिये मैंने पहले भी हाउस को यकीन दिलाया था कि हम इसी सेशन में रिपोर्ट टेबल पर रख देंगे। इसमें कुछ वक्त लग सकता है।

SHRI CHANDRAJIT YADAV: As soon as possible.

श्री जैल सिंह : मैं कह सकता हूं कि हम जल्दी से जल्दी उसको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह मेरा डेफिनिट प्रोमिज है कि इस सेशन में रिपोर्ट रख दी जायेगी। (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर का अश्योरेंस तो यही था। जो उन्होंने कहा था वह यही था। (**व्यवधान**) प्लीज आर्डर।

पिछली दफा जब सेशन हुआ था तब मैंने इनिशियेटिव लिया था और आप के कहने से यह सब हुआ था। मैंने इनको कहा था कि मुझे वह दो। जो मोशन आया था, उसमें गवर्नमेंट ने माना था कि इस सेशन में रखनी है। (**व्यवधान**) उसमें तारीख की बात नहीं है। मेरे पास लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं हो तो मैं आप से माफी मांग लूंगा। अब आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: I will stand corrected.

मैं आप को बताता हूं कि यही था। रिकार्ड जो मैं ने देखा है, उसमें यह है कि गवर्नमेंट कह दे कि कौन से सेशन में वह रखगी। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम बजट सेशन में रखेंगे। अब मैं आप की तरफ से और अपनी तरफ से भी कहता हूं वह जल्दी से जल्दी उसको रखे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कहा है कि वे रिपोर्ट बजट सेशन में रखेंगे। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या वे रिपोर्ट ही रखने जा रहे है या एक्शन टेकन की बात भी रखने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों की बात है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Unless there is also Action Taken Report, we cannot lay it. (*Interruptions*). It is a mandatory provision.

MR. SPEAKER: Now, Papers Laid. Mr. Sangma.

12.14 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

(ii) Annual Report and Review of Marine Products Export Development Authority, Cochin, Jute Manufactures Development Council, Calcutta, for 1980-81, etc. etc.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of